न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बरः— 127 / 2025
जी0सी0एम0एस0 :—2025 / 417

1.कालुराम पुत्र मोती सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
2.मिंटु कंवर पत्नि इन्द्राज सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

आवेदकगण....

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

अनावेदक.....

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 111, 128, भू— राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 11/11/2025

आवेदकगण ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2912, 2934, 2935 कुल किता 3 कुल रकबा 2.200 हैक्टर भूमि अवस्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि आवेदकगण की खातेदारी भूमि है जिस पर आवेदकगण का कब्जा काश्त है। आवेदकगण उक्त वर्णित भूमि की सीमाओ पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं होने के कारण आवेदकगण ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार नवलगढ के यहां आवेदन किया था, जिस पर तहसीलदार नवलगढ के आदेश क्रमांक 313 दिनांक 26.06.2025 की पालना में दिनांक 26.06.2025 को पटवारी हल्का परसरामपुरा द्वारा उपर वर्णित भूमि का सीमाज्ञान किया गया है जिससे आवेदकगण पूर्णतया सन्तुष्ट है तथा जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट सलंग्न है। आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु चार दिवारी/तारबंदी करवाना चाहता है जिससे आवेदकगण की खातेदारी भूमि की सुरक्षा हो सके इसलिए आवेदकगण उक्त अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है।

अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2912, 2934, 2935 कुल किता 3 कुल रकबा 2.200 हैक्टर की सीमाओं पर दिनांक 26.06.2025 के सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदक की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अनावेदक तहसीलदार नलवगढ बावजूंद तामील न्यायालय में हाजिर नहीं आए अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील आवेदकगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2912, 2934, 2935 कुल किता 3 कुल रकबा 2.200 हैक्टर भूमि अवस्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि आवेदकगण की खातेदारी भूमि है जिस पर आवेदकगण का कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2025 को पटवारी हल्का परसरामपुरा के द्वारा किया गया था, जिसकी फर्द सीमाज्ञान संलग्न है। आवेदकगण उक्त सीमाज्ञान रिर्पोट से पूर्णतया संतुष्ट है तथा सीमाज्ञान के अनुसार ही अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2912, 2934, 2935 कुल किता 3 कुल रकबा 2.200 हैक्टर की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहता है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन पश्चात पाते है कि राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2912, 2934, 2935 कुल किता 3 कुल रकबा 2.200 हैक्टर भूमि अवस्थित हैं। जिसका सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2025 को किया गया। आवेदकगण उक्त सीमाज्ञान रिर्पोट से पूर्णतया संतुष्ट है। उक्त वर्णित भूमि के आवेदकगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सीमाज्ञान के अनुसार ही अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2912, 2934, 2935 कुल किता 3 कुल रकबा 2.200 हैक्टर की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। उक्त विवेचन से जाहिर होता है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2912, 2934, 2935 कुल किता 3 कुल रकबा 2.200 हैक्टर की सीमाओं पर फर्द सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2025 के अनुसार सीमाचिह्न अर्थात पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार नियमानुसार शुल्क जमा कर तथा नाप जोख कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

निर्णय आज दिनांक 11-11-2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ